(16)

न्यायालय राजस्व मण्डल, मध्य प्रदेश ग्वालियर

समक्ष

एम0के0सिंह

संदस्य

पुनरावलोकन प्रकरण क्रमांक 4155/II/2014 – विरूद्ध आदेश दिनांक 19.05.2014 – पारित व्दारा सदस्य, राजस्व मण्डल,म0प्र0ग्वालियर – प्रकरण क्रमांक 22–II/2014 निगरानी–

यादवेन्द्र सिंह पुत्र देशराज सिंह यादव
निवासी ग्राम पिपरई तहसील मुंगावली
वर्तमान तहसील पिपरई जिला अशोकनगर –––––आवेदक

विरूद्ध

मध्य प्रदेश शासन व्दारा कलेक्टर अशोकनगर ––––अनावेदक

(आवेदक की ओर से अभिभाषक श्री के0के0द्विवेदी)
(अनावेदक की ओर से अभिभाषक श्री दिवाकर दीक्षित)

आ . दे श

(आज दिनांक 6 – 1 – 2016 को पारित)

यह पुनरावलोकन आवेदन सदस्य राजस्व मण्डल, म0प्र0 ग्वालियर व्दारा निगरानी प्रकरण क्रमांक 22–II/2014 में पारित आदेश दिनांक 19.5.2014 के विरूद्ध मध्य प्रदेश भू राजस्व संहिता, 1959 की धारा 51 के अंतर्गत प्रस्तुत किया गया है।

2/ प्रकरण का सारॉश यह है कि पटवारी ग्राम पिपरई ने नायव तहसीलदार वृत्त पिपरई तहसील मुंगावली को इस आशय की रिपोर्ट प्रस्तुत की कि पिपरई स्थित आराजी क्रमांक 196, 885/1, 889/2, 889/2/6, 669/2/1, 761, 764, 786, 600/2/1 के कुछ भाग पर मकान बने है तथा कुछ भाग अन्य प्रयोजन का नहीं है भूमि निवास प्रयोजन के अलावा अन्य प्रयोजन के काम की नहीं है अतः निवास प्रयोजन हेतु बंटन वावत् प्रस्ताव प्रस्तुत है। नायव तहसीलदार मुंगावली ने प्रकरण पंजीबद्ध कर जांच उपरांत आदेश दिनांक 5.7.04 पारित किया तथा उक्त भूमि का रिहायशी

भूखंडों के रूप में 39 व्यक्तियों को कर दिया। नायव तहसीलदार व्दारा किये गये बंटन के संबंध में प्राप्त शिकायत की जांच कलेक्टर अशोकनगर ने अनुविभागीय अधिकारी से कराई एंव अनुविभागीय अधिकारी के जांच प्रतिवेदन के आधार पर स्वमेव निगरानी प्रकरण दर्ज कर हितबद्धों की सुनवाई उपरांत आदेश दिनांक 25.2.2008 पारित किया तथा नायव तहसीलदार का बंटन आदेश दिनांक 5-7-04 निरस्त कर दिया। इस आदेश के विरूद्ध आवेदक ने अपर आयुक्त, ग्वालियर संभाग ग्वालियर के समक्ष निगरानी प्रस्तुत करने पर प्रकरण क्रमांक 266/2007-08 निगरानी में पारित आदेश दिनांक 5.12.2008 से निगरानी अमान्य की। इस आदेश के विरूद्ध आवेदक ने 2-1-14 को न्यायालय में निगरानी प्रस्तुत करने पर प्रकरण क्रमांक 22/III/14 निगरानी में पारित आदेश दिनांक 19.5.14 से निगरानी 5 वर्ष के विलम्ब से प्रस्तुत होने के आधार पर निरस्त कर दी गई। इसी आदेश के विरूद्ध पुनरावलोकन हेतु यह आवेदन प्रस्तुत हुआ हैं ।

3/ पुनरावलोकन आवेदन में दिये गये विवरण पर उभय पक्ष के अभिभाषकों के तर्क सुने तथा अभिलेख का अवलोकन किया गया।

4/ आवेदक के अभिभाषक ने तर्को में बताया कि निगरानी प्रस्तुत करने में हुआ 5 वर्ष का विलम्ब माफ किये जाने योग्य है क्योंकि अपर आयुक्त, ग्वालियर संभाग ग्वालियर द्वारा प्रकरण क्रमांक 266/2007-08 निगरानी में पारित आदेश दि. 5.12.08 की जानकारी अभिभाषक ने यथा-समय आवेदक को नहीं दीं। आवेदक को अपर आयुक्त के आदेश की जानकारी तब हुई, जब इसी आशय के अन्य प्रकरण में राजस्व मण्डल से आदेश दिनांक 19.5.14 पारित हुआ और उस पर से कलेक्टर अशोकनगर ने हितबद्ध पक्षकारों की सुनवाई प्रारंभ की, तब आवेदक ने जानकारी ली, तब अपर आयुक्त के आदेश का पता चला। यदि आवेदक के अभिभाषक के इस तर्क पर गौर किया जावे, अभिभाषक की त्रृटि

का खामियाजा पक्षकार को नहीं भुगताया जाना चाहिये, किन्तु निगरानी प्रकरण क्रमांक 22-II/2014 में आदेश दि. 19.5.2014 पारित करते समय आवेदक के अभिभाषक उक्तानुसार समाधान नहीं करा सके थे जिसके कारण विलम्ब के आधार पर आदेश दिनांक 19.5.2014 से निगरानी निरस्त हुई है। फलस्वरूप विचाराधीन पुनरावलोकन आवेदन स्वीकार किये जाने में किसी प्रकार की बैधानिक अड़चन नहीं है।

5/ आवेदक के अभिभाषक ने तर्को में बताया कि जिस भूखंड को नायव तहसीलदार ने आवेदक के हित में आवंटित किया है उस पर आवेदक का वर्ष 1980 से पक्का मकान बना है एंव रहवास है जिसका पटटा उसे पूर्व से ग्राम पंचायत व्दारा दिया गया है। नायव तहसीलदार मुंगावली ने कस्वा पिपरई स्थित भूमि सर्वे क्रमांक 196, 885/1, 889/2, 889/2/6, 669/2/1, 761, 764, 786, 600/2/1 के कुछ भाग पर पूर्व से मकान बने होना पाया एंव कुछ भूमि रिक्त पाई गई, जिसके कारण उन्होंने पात्र व्यक्तियों को भूखंडों का आवंटन किया है क्योंकि भूमि रिहायशी प्रयोजन के अलावा अन्य किसी काम की नहीं थी जिसके कारण विधिवत प्रकरण क्रमांक 18 अ 19/03-04 पंजीबद्ध कर इस्तहार का प्रकाशन करते हुये एंव ग्राम पंचायत का अभिमत लेकर पात्र आवासहीन व्यक्तियों को बंटन किया है। उन्होंने न्यायालयीन प्र.क. 269/III/09 निगरानी में पारित आदेश दि. 05 जनवरी 2013 की ओर भी ध्यान आकर्षित कराया। शासकीय अभिभाषक ने इसका विरोध कर कलेक्टर अशोकनगर के आदेश को यथावत् रखने की प्रार्थना की।

6/ उभय पक्ष के अभिभाषकों के तर्कानुक्रम में उपलब्ध अभिलेख के अवलोकन से प्रतीत होता है कि संभव है कि अन्य निगरानी क्रमांक 269/III/09 में पारित आदेश दिनांक 5-1-13 में आये तथ्यों अनुसार संभव है कि आवेदक का भी वर्ष 1980 से पक्का मकान बना उक्त सर्वे नंबरान की भूमि पर बना हो जिसका

पटटा उसे पूर्व में ग्राम पंचायत द्वारा दिया जाना बताया गया है इसकी पुष्टि आवेदक की ओर से अपने उत्तर के साथ प्रस्तुत दस्तावेंजो के अवलोकन से होती है। आवेदक को जिस आवासीय भूखण्ड का आवंटन तहसीलदार ने किया है उसपर विधिवत् अनुमति लेकर पक्के मकान का निर्माण किया है, कलेक्टर के आदेश के स्पष्ट है कि उनके द्वारा उक्त तथ्यों को अनदेखा किया गया है, और आवेदक द्वारा अपने स्वामित्व के संबंध में प्रस्तुत दस्तावेजो पर कोई विचार नहीं किया गया है उनका यह निष्कर्ष अभिलेख के विपरीत है। कि आवेदक का वर्ष 1980 का अतिक्रमण नहीं है क्योंकि जो दस्तावेंज अभिलेख में संलग्न है उनके यह प्रमाणित है कि आवेदक का मकांन वर्ष 1980 से पूर्व बना हुआ था अतः इस प्रकरण में कलेक्टर का जो आदेश है वह प्रथम दृष्टया ही नैसर्गिक न्याय के सिद्वांतो तथा अभिलेख के विपरीत होने से स्थिर नहीं रखा जा सकता। जहॉ तक अपर आयुक्त के आदेश का प्रश्न है तो उनके द्वारा भी उक्त तथ्य को अनदेखा कर आदेश पारित किया है और इस न्यायालय का पूर्व आदेश प्रकरण के गुण दोषों पर नहीं है ऐसी स्थिति में उक्त आदेश स्थिर रखे जाने योग्य नहीं है। और आवेदक के विरूद्व प्रकरण समाप्त किया जाता है।

7 उपरोक्त विवेचना के आधार पर पुर्नविलोकन स्वीकार किया जाकर इस न्यायालय द्वारा पारित पूर्व ओदश दिनांक 19.05.2014 एवं अपर आयुक्त ग्वालियर संभाग ग्वालियर द्वारा पारित आदेश दिनांक 05.12.008 तथा कलेक्टर अशोकनगर पारित आदेश दिनांक 25.02.2000 त्रुटि पूर्ण होने से निरस्त किये जाते है तथा नायब तहसीलदार द्वारा आवेदक के पक्ष में पारित आदेश स्थिर रखा जाता है। यह आदेश आवेदक के प्रकरण में लागू होगा।

(एम0के0सिंह)
सदस्य,
राजस्व मण्डल,म.प्र.ग्वालियर